ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 62-64

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

जनाक्रोश

बजरंग बहादुर सिंह
ग्रा0 व पो0–गद्दोपुर, बिलरियागंज, आजमगढ़

Received- 04.08.2020, Revised- 08.08.2020, Accepted - 12.08.2020 E-mail:- dr.bajrangbahadur@gmail.com

सारांश : *पुलिस के विरूद्ध नृशंसता, मानवधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, गैरकानूनी व्यवहार, अक्षरता, पक्षमता, पक्षपातपूर्ण रवैये अपनाने के आरोप लगाए जाते रहते है। बड़ी संख्या में मामलों को पंजीकृत न करने या कम गम्भीर घटनाओं के अन्तर्गत पंजीकृत करने के कारण पुलिस के विरूद्ध जनाक्रोश भड़कता है। पुलिस द्वारा सभी कानूनों को समान रूप से सब जगह भेदभाव के साथ लागू किये जाते है। पुलिस कुछ नियमों को लागू ही नहीं करती जबकि इनके लागू करने की दशायें पर्याप्त होती है यथा जुए के अड्डों एवं होटलों को चलाना जहाँ Call Girls उपलब्ध कराया जा सके। इनके लिए पुलिस कतिपय सहनशील नीतियाँ अपनाती है जो कानून के खुले उल्लंघन की अनुमति देती है, उनमें से कुछ को पकड़ लेती है और कुछ वैसे ही जाने देती है। ग्रामीण आँचल से आने वाले निर्धन, अशिक्षित तथा विशेषाधिकार रहित समूहों के साथ भेद–भाव करती है। सम्पन्न लोगों की गिरफतारी की अवहेलना की जाती है जबकि निर्धन लोगों को थोड़ा सा संदेह होने पर पर पकड़ लिया जाता है।*

कुंजीभूत शब्द–नृशंसता, मानवधिकार उल्लंघन, भ्रष्टाचार, गैरकानूनी व्यवहार, अक्षरता, पक्षमता, पक्षपातपूर्ण ।

अपराध की सूचना धनी बस्ती की अपेक्षा निर्धन क्षेत्रों से मिलने पर, पुलिस की कार्यवाही धीमी गति से चलती है। इस प्रकार निर्धनों के विरूद्ध भेद–भाव पक्षपात आदि जनता के मन में संदेह पैदा करती है। यह सब पुलिस के विरूद्ध जनाक्रोश पृष्ठभूमि तैयार करती है। जो लोग पुलिस के चंगुल में फँसते है वे प्रायः ये शिकायत करते है कि गिरतारी, पूछताछ व हवालात में नृशंतापूर्ण व्यवहार किया गया था। अपने आदेशों के पालन करने के लिए बाध्य करना, गाली–गलौज, सड़क पर बेइज्जत करने वाले प्रश्न पूछना, झूठे बहाने बनाकर तलाशी लेना, अपराधियों का धन हड़पना और उन पर "थर्ड डिग्री" अपनाना, परेशान करने की इरादे से गिरतार करना, शारीरिक बल का प्रयोग करना पुलिस की जीवनशैली बन चुकी है।[1] प्रजातांत्रिक अधिकारों के जनसंघ ने नवम्बर 1989 तथा फरवरी 194 के बीच हिरासत में हिंसा सम्बन्धी मामलों की जाँच की । इसमें हिरासत के दौरान बलात्कार की 12 घटनाएँ हुई थी, जिसमें 24 पुलिसकर्मी संलिप्त थे। सबसे बड़ा आश्चार्य यह रहा कि उनमें से किसी एक को भी सजा नहीं हुई। 07 मामले बंद कर दिये गए थे और 05 में पीड़ित महिलाओं में परिस्थितिजन्य एवं चिकित्सकीय पर्याप्त साक्ष्यों के बाद भी अपने ऊपर हुए बलात्कार से मुकर गई। 10 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया जिनमें से 04 को पुनः संगठन में वापस ले लिया गया और शेष को उत्पीडित महिलाओं द्वारा वापस लिये गये केस में आरोपित किये गए।[2] वर्ष 2005 में पुलिस हिरासत में बलात्कार के 07 मामले रिपोर्ट किये गये थे।[3] पुलिस द्वारा साक्ष्य में गड़बड़ी करना के समय सो जाना, प्रदत्त उत्तरदायित्वों की उपेक्षा करना, जनसामान्य के साथ दुर्व्यवहार आदि सामान्य सी बात हो गयी है। पुलिस द्वारा अधिकारों का दुरूपयोग करना, दलाली, मौका परस्ती, चोरी, धमकी देना, अवैध कार्यों का बचाव, हता सीधे अपराधिक कृत्यों में शामिल होना और आन्तरिक भुगतान आदि पुलिस भ्रष्टाचार के स्वरूप है।[4] जो जनाक्रोश के कारण बनते है। पूर्व मुख्यमंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) ने P.P.S. Association की बैठक में कहा कि थानों में भ्रष्टाचार बढ़ा है। पुलिस गरीबों एवं किसानों को लूट रही है। C.O. और ASP. को पता रहता है कि कौन थानेदार भ्रष्ट है, फिर भी उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं होती। पुलिस को सोचना चाहिए कि वे सब से ज्यादा काम करते है, फिर जनता को उन पर विश्वास क्यों नहीं है?[5] 'पुलिस में अपराधीकरण' की बढ़ती प्रवृति की सूचनाएँ समाचार–पत्रों में विगत तीन दशकों से आ रहे है। इसके अन्तर्गत पुलिसकर्मी स्वंय अपराध करते हुए, अपराधियों को अपराध करने में सहायता व उसके सहभाग लेने तथा पुलिस विभाग से नौकरी छोड़कर अपराध समूहो से सम्बद्ध होकर हत्या, लूटपाट, अपहरण करते हुए पाये जाते है।[6] इस सन्दर्भ में यहाँ उल्लेख करना अपरिहार्य प्रतीत होता है कि कुछ वर्ष पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायधीश ने कहा "पुलिस अपराधियों की संगठित समूह है।" मैकोर्कल क्लोवार्ड तथा राबर्ट मर्टन जैसे समाजशास्त्रियों ने पुलिस अपराध को समाज की अवैध सेवाओं की माँग का स्वभाविक

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-13, No.-II, Issues-17, YEAR- Sept. -2020

प्रतिफल मानते है। जब इस तरह की वांछित सेवायें वैध रूप से उपलब्ध नहीं हो पाती, तो वे अवैध साधनों से प्राप्त की जाती है। पुलिस सहायता के लिए बड़े अपराध गैंग अनेक पुलिस अधिकारियों को अपने वेतन विवरिणका पर रखते है। यदि एक बाद एक पुलिस अपराध कर दे तो वही उसके व्यवहार का प्रतिमान बन जाता है। 'मुतखोरी' 'मुत खरीदारी' 'दादागिरी' 'वसूली' 'घूस' 'हड़पना' आदि पुलिस विचलन व्यवहार के प्रचलित शब्द बन गए है, जो पुलिस चरित्र को उजागर करते है और जनाक्रोश के कारण बनते है। पुलिस अपराधी संलिप्तता को कई बार मीडिया उजागर करती है, जिसका लाभ पुलिस को भी मिलता हैं कोई भी व्यक्ति पुलिस सत्ता व आदेश को चुनौती देने का दुस्साहस करता है, तो वह पुलिस प्रताड़ना का शिकार बन जाता है। किसी भी कारण यदि जनाक्रोश फैलता है तो पुलिस उसे दबाने के लिए अश्रू गैस, पुलिस फायरिंग आदि जघन्य तरीकों का प्रयोग में लाती है। इस प्रकार की कृत्य पुलिस छवि को धूमिल करती है।[7] जनाक्रोश के कतिपय घटनाओं का जीवान्त दृष्टांत यहाँ निम्नलिखित रूप में दिया जा रहा है : मऊ जनपद में अपने बच्चे को पिटता देखकर दरोगा को कई बार महिला ने आवाज दी पर वे तब पहुँचे जब बच्चे की जान चली गयी। आजमगढ़ जनपद में एक डाक्टर को जान से मारने की धमकी एक PCO के माध्यम से दी गयी। पुलिस ने PCO मालिक को पकड़कर अपने कार्य की इतिश्री कर ली।[8] पुलिस के निकम्मेपन, सामूहिक नरसंहार काण्ड, लाठी के बल पर जबरन जुर्म उगलवाने, माफियों द्वारा रंगदारी टैक्स वसूली के विरोध में व्यापरियों ने भदोही जनपद में – "न रहेगा थाना न रहेगी वर्दी" कार्यक्रम की तहत पुलिस की शव यात्रा निकाली और वे कहते जा रहे थे– "यहाँ का पुलिस प्रशासन मस्त है और जनता यहाँ की त्रस्त है।[9] भारतीय जनता पार्टी के जिला (आजमगढ़) मंत्री के निमर्म हत्या के क्षुब्ध तरवां वासियों ने थाना फूंक दिया, लोहे के गेट उखाड़ कर फेंक दिये, रिकार्ड रूम में रखे सरकारी कागजात फाड़ डाले, फाईलों को आग लगा दी थाने में लगे वायरलेस सेट, टेलिफोन, कुर्सियाँ, राइफलों आदि को तोड़कर क्षतिग्रस्त कर दिये–जो पुलिस के निकम्मेपन एवं अकर्मणयता के विरोध में उभरी जनाक्रोश की पराकाष्ठा थी।[10] मऊ जनपद के तीन व्यायापरियों की हत्या से उत्पन्न जनाक्रोश से भीटी पुलिस चौकी जला दी गयी जिनमें उनके सामान, वर्दी रूपये पैसे की भी इतिश्री हो गयी।[11] 5 सितम्बर 2005 को आजमगढ़ जनपद के सिधारी थाना हवालात में बन्द अपने भाई से मिलने गये 22 वर्षीय युवक को पुलिस लाठी–डण्डा से जमकर पीटा और बाढ़ के पानी में ढकेल कर मार डाला गया। इससे आक्रोशित नागरिकों ने शव को सड़क पर रखकर बहुत बड़ा जाम लगा दिया जिस पर पुलिस न उन पर बल का प्रयोग किया जिसके फलस्वरूप आन्दोलन नागरिकों में बस के शीशे तोड़े औ उसे फूंक दिया। पुलिस की इस ताण्डव में जनप्रतिनिधि एवं विधायक भी घायल हुये।[12] आजमगढ़ जनपद के महाराजगंज थाने के ठीक सामने स्थिति मकान पर 2 दर्जन हमलावरों ने व्यापारी दम्पति को बन्दूक के कुंदे लात–घूंसे से जख्मी कर दिये। हमलावरों द्वारा पीटे जाने की शिकायत लेकर 300 लोग थाने पहुँचे, तो पुलिस नो पीड़ितो को अहमियत देने की जगह पर उन पर लाठी चार्ज कर दिया जिससे क्षुब्ध लोगों ने थाने पर पथराव शुरू कर दिया, बाजार बन्द करके चक्का जाम कर दिया।[13] बुलन्दशहर/खुर्जा से युवक (पूर्व में FIR) की मृत्यु की पुष्टि हो जाने पर उग्र भीड़ ने पुलिस पर जम कर पथराव किया, तीन जवानों को पकड़कर पिटाई की और उनकी वर्दी फाड़ दी पुलिस की जीप को क्षतिग्रस्त कर दिया। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप पुलिस ने मृतक युवक के परिजनों सहित प्रदर्शनकारियों पर जमकर बल का प्रयोग किया।[14] दबंगो द्वारा महिलाओं पर हुये अत्याचार व धमकी से त्रस्त पीड़ित परिवार पर पुलिस निष्क्रियता और राजनैतिक दबाव के कारण अपराधिक मुकदमा पंजीकृत न होने आदि मुद्दों को लेकर जनवादी पार्टी के नेतृत्व में महिलाओं व पुरूषों ने धरना–प्रदर्शन शंकरपुर चेक पोस्ट (रानी की सराय/आजमगढ़ जनपद) पर करते हुये जाम लगा कर अपना आक्रोश व्यक्ति किया।[15] महाराजगंज (आजमगढ़) थाने में चौकीदार के पुत्र के साथ खाकी वर्दीधारियों (दरोगा/दीवान) के अप्राकृतिक दुष्कर्म करने वालों द्वारा न्यायालय में समपर्ण के दौरान आक्रोशित अधिकवक्ताओं के साथ वादकारी भी मानवता व वर्दी को कलकित करने वाले कुकर्मियों को मारने–पीटने पर उतारू हो उठे।[16] टाटा सुमो सहित चालक का अपहरण कर हत्या से आक्रोशित ग्रमीणों ने रासेपुर सहित चालक का अपहरण कर हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने रासेपुर बाजार (चिरैयाकोट–खरिहानी के मध्य) में चक्का जमा कर दिये। इस आक्रोश को दबाने के लिए पुलिस द्वारा बेरहमी से लाठियों भांजी गयी जिससे उग्र हो उठे ग्रामीणों ने पथराव किया और उस पर पुलिस ने फारिंग की जिसमें दर्जनभर घायल हुय।[17] इंजीनियर मनोज गुप्ता की हत्या (आरोपित विधायक) के विरोध में औरैय्या जनपद के आक्रोशित लोगों ने पुलिस चौकी S.D.M. व C.O. कार्यालय को आग क हवाले कर दिया जगह–जगह पर मुख्यमंत्री क पुतले पोस्टर व होडिंग जलाये तथा S.P. के कार पर पथराव किये तथा हाइवे पर जाम लगाये।[18] कोटबाग (हल्द्वनी) के

PIF/6.500 *ASVS Reg. No. AZM 561/2013-14*

ब्लाक प्रमुख संघ के प्रदेश अध्यक्ष बलवन्त सिंह कन्याल की हत्या एक राजनैतिक पार्टी के नेता द्वारा थाने में ही कर देने से आक्रोशित समर्थकों ने दरोगा को पत्थरों और दरांतियों से मार डाला, और थाने को फूंक दिया। पुलिस अधिकारियों के छः वाहनों संहित कागजात, सामान और 25–30 शस्त्र जला दिये।[19] रात में गश्त पर निकले सिपाहियों ने गोली चलाते हुए इटावा के भूसा व्यापारियों से एक लाख रूपये लूट लिए। इस हैवानियत को देखते हुए रात में ही सैकड़ों आक्रोशित भीड़ सड़क पर उतर आयी और जाम लगा दिये।[20] पूर्व डारेक्टर जनरल पुलिस (DGP) हरियाणा (एस0पी0 एस0 राठौर) को टेनिस खिलाड़ी रूचिका गिरहोत्रा से छेड़छाड़ के मामले में 19 साल बाद बहुत कम सजा से उभरे जनाक्रोश के कारण पुनः उच्च न्यायालय में शुरू हुई सुनवायी।[21] 1997 में मधुकर टंडन SP राजस्थान द्वारा अपने अर्दली की पत्नी का अपरहण–बलात्कार–फरार तलाशी जारी है।[24] हाथरस बलात्कार पीड़िता का रात में अन्तिम संस्कार।[25] हाथरस काण्ड पर उचित कार्यवाही न होने से पूरे देश में जनाक्रोश26। महोबा काण्ड।[27] हाथरस काण्ड में पीड़ित परिजनों से मिलने पर रोक।[28] उपरोक्त घटनाएँ कुछ ऐसे दृष्टांत है, जो पुलिस की असंवेदनशीलता एवं अमानवीय व्यवहार के प्रतीक है जिनके प्रतिक्रिया स्वरुप जनाक्रोश का कारण बनती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्रो0 राम आहूजा मुकेश आहूजा अपराध शास्त्र : पूर्वोक्त।
2. द हिन्दुस्तान टाइम्स : मई 27. 1997.
3. क्राइम इन इण्डिया : 2005.
4. रोबेक एण्ड बराबर : ''ए टाइपालोजी आफ पुलिस क्रप्शन'' इस सोशल प्रारब्लम्स नं0 3,1974 पृ0 423–37.
5. थानों में बढ़ा है भ्रष्टाचार : मुख्यमंत्री का दर्द–दाग धोकर पुलिस को बहादुर बताता हूँ : हिन्दुस्तान (दैनिक) 26.11.2006.
6. क्राइम इन इण्डिया : क्राइम क्लाक , 2005 पृ0 9.
7. क्राइम इन इण्डिया : 2005 पूर्वोक्त।
8. राम आहूजी, मुकेश आहूजा : पूर्वोक्त।
9. डॉ0 निरंकार प्रसाद श्रीवास्तव : समाज शास्त्रीय शोध संकलन ''पुलिस का अपराधीकरण'' पृ0 131–137, शेखर प्रकाशन इलाहाबाद (उ0प्र, 2010)
10. राम आहूजा, मुकेश आहूजा : पूर्वोक्त।
11. गजब की है अपनी पुलिस .... भई वाह : हिन्दुस्तान, 7.11.2003.
12. व्यापारियों ने निकाली पुलिस की शव यात्रा : हिन्दुस्तान 16.1.2004.
13. पुलिस सोचे कि क्यों खत्म हो रहा है जनता का भरोसा : हिन्दुस्तान 11. 10. 2004.
14. जनाक्रोश से कई पुलिसकर्मी हुए खाना बदोश : हिन्दुस्तान 29.09.2005.
15. कब बन्द होगी थानों में हत्या, कब थमेगा उत्पीड़न : हिन्दुस्तान 7.9.2005.
16. पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा–महाराजगंज थाने पर चक्का जाम : हिन्दुस्तान 13.1.2008.
17. लापता युवक के मामले में 'बुलन्दशहर में उपद्रव : हिन्दुस्तान 5.2.2007.
18. पुलिस निक्रिष्यता के विरोध में जनवादी पार्टी का चक्का जमा : हिन्दुस्तान 13.1.2008.
19. दरोगा व दीवान ने किया न्यायालय में समर्पण : हिन्दुस्तान 21.2.2008.
20. आजमगढ़ में ग्रामीणों पर बरसी की लाठियाँ : हिन्दुस्तान 25.2.2008.
21. इंजीनियर की हत्या पर बवाल'क्डण ब्ल कार्यालय तथा पुलिस चौकी फूंकी : हिन्दुस्तान 26.12. 2008,
22. हल्द्वानी में थाना फूंका, दरोगा को मार डाला : हिन्दुस्तान 24.8.2009,
23. सिपाहियों ने फायरिंग कर की लूटपाट : हिन्दुस्तान 30.1.2010,
24. छेड़छाड़ के मामले में पूर्व क्ळच सजा/राठौर समेत दागदारों के छिनेगें ।
25. दिल्ली से लखनऊ तक गुस्सा 3.10.2020 अमर उजाला ।
26. दिल्ली से बंगला तक, मुम्बई से असम तक 3.10. 2020 अमर उजाला।
27. महोबा काण्ड 3.10.2020 अमर उजाला ।
28. हाथरस काण्ड 03.10.2020 अमर उजाला ।

*****